

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2024/112632/BJN/BIJNOR/721/CFO

दिनांक: 27-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स J P PUBLIC SCHOOL AT DHANAURA ROAD CHANDPUR TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता -,CHANDPUR TO DHANAURA ROAD,CHANDPUR तहसील - CHANDPUR, प्लाट एरिया 19825.75 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 3088.37 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 2 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK 1	2	0	8.60 mt.
EDUCATIONAL BLOCK 2	1	0	4.37 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स J P PUBLIC SCHOOL AT DHANAURA ROAD CHANDPUR TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 31-03-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VIJAY KUMAR के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 31-03-2024 से 31-03-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स J P PUBLIC SCHOOL AT DHANAURA ROAD CHANDPUR TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स J P PUBLIC SCHOOL AT DHANAURA ROAD CHANDPUR TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : FSSO चांदपुर की संस्तुति रिपोर्ट के अनुसार -उक्त सम्पूर्ण स्कूल भवन वर्ष 2005 से पूर्व का निर्मित होकर संचालित है। उक्त भवन को अग्निशमन अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-2688 / छ-पु -8 -2008 दिनांक 20 -11 -2008 तथा शासनादेश संख्या-18 /छ:-पु ० -8 -2022 /905 -34 -201 टी०सी० दिनांक 07 -01 -2022 में दी गयी ढांचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था में शिथिलीकरण एवं FSSO चांदपुर की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया जाता है। उक्त भवन में मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हर समय कार्यशील दशा में रखनी अनिवार्य होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHARMA)

[A374EAC7B2755ED009D1F2B68F02126B261C8225]

31-03-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-03-2024
स्थान : BIJNOR